



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार, 12 मार्च, 2026 ई०

फाल्गुन 21, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

परिवहन अनुभाग-1

संख्या- 378327/ix-1/2026/01(03)2023/E-47939

देहरादून, 12 मार्च, 2026

अधिसूचना

श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटरयान अधिनियम, 1988 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या-59, सन् 1988) की धारा-68 की उपधारा (3) के खण्ड (ग-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके मंजिली गाड़ी चलाने के लिये नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित मार्ग को देहरादून सम्भाग के लिये निश्चित करते हैं:-

अनुसूची

क्र० सं०	मार्ग का नाम	दूरी(कि०मी०)
1	2	3
1	आई०टी० पार्क-सहस्रधारा-सेरा गांव	11.5

आज्ञा से,

बृजेश कुमार सन्त,
सचिव।